संख्या– —— /XXIV(7)/2019–37(2)15

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 06 मार्च, 2019

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजकीय महाविद्यालय, मुवानी (पिथौरागढ) के भवन निर्माण कार्यो हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक डिग्री विकास/9204/2018–19, दिनांक 18.01.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय, मुवानी (पिथौरागढ) के भवन निर्माण कार्यों हेतु रू0 271.34 लाख (सिविल कार्यों हेतु रू0 263.17 लाख + अधिप्राप्ति के कार्यों हेतु रू0 8.17 लाख) की धनराशि का अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में रू0 108.00 लाख (रू0 एक करोड़ आठ लाख मात्र) की धनराशि का संलग्न प्रपत्र बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशि अनावश्यक रूप से बैंकों में पार्किग के रूप में न रखी जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें,।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकरी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

4– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराया जाय।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

7– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

8– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

क्रमशः..........................2/–

9– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 का कड़ाई से पालन किया जाय।

10– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/xiv-219(2006)/दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/XXVII(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयबद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12– तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज (Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

13– वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य के निष्पादन हेतु एक समय सारिणी निर्धारित की जायेगी तथा कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब अथवा अन्य किसी भी कारणों से आंगणन का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 202(म0)XXVII(3)/2019 दिनांक 05/03/2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 221 (1)/XXIV(7)/2019–37(2)15 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3–जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
4–निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5–सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मुवानी (पिथौरागढ)।
7–निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
8–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
9–वित्त अनु0–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10–परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।

Seen
8/22-04-19
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
(पिथौरागढ)